

FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने
प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे :-	
	1. उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	मेसर्स मलका रिन्यूवल एनर्जी प्रा. लि., सिकंदराबाद द्वारा धमरजयगढ़ वनमंडल के अंतर्गत 8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना हेतु
	2. अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	संरक्षित वन - 2.00 हेक्टेयर , राजस्व वनभूमि - 4.69 हेक्टेयर कुल 6.69 हेक्टेयर।
	3. परियोजना की कुल लागत -	6242.00 लाख में
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाऐ -	अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि का आवश्यकता है।
	5. वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	जन कल्याण एवं बिजली आपूर्ति
	6. कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	आस-पास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुगम होगी
	7. सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	धमरजयगढ़
	1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
	2. जिला -	रायगढ़
	3. वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट, राजस्व वनभूमि -	कक्ष क्रमांक PF385 राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 1355/1क/1, 1375/1क/1 एवं 1379/1क
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	संरक्षित वन - 2.00 हेक्टेयर , राजस्व वनभूमि - 4.69 हेक्टेयर कुल 6.69 हेक्टेयर।

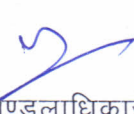
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा -	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	संरक्षित वन -2.00 हेक्टर , राजस्व वनभूमि -4.69 हेक्टर कुल 6.69 हेक्टर।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा	वनस्पति :- वृक्ष प्रजाति साल, साला, केकट, भिरहा, धवई इत्यादि। घास प्रजाति दुब घास, वन तुलसी, वन्यप्राणी :- खरगोश , सियार, बंदर, इत्यादि तथा जल स्रोत होने के कारण यदा-कदा हाथियों की गतिविधि भी होती है।
	3. वनस्पति की सघनता	0.4 लगभग
	4. वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार	वृक्ष विदोहन संलग्न है।
	5. भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं	नहीं है।
	6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है।
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना हेतु कुल 6.69 हेक्टर।
	8. क्षेत्रमें पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां	नहीं पाया जाता है।
	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	नहीं है।
	10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा -	आवश्यक नहीं है।
	1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं है।
	2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यक नहीं है।
	3. विस्तृत पुनर्वास योजना	आवश्यक नहीं है।
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे -	
	1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार	खैरागढ़ वन मंडल अंतर्गत निजी भूमि 5.668 हे. एवं कवर्धा वन मंडल अंतर्गत निजी भूमि 1.81 हे. कुल 7. 478 हे. निजी भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।
	2. क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	संलग्न है।
	3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम	संलग्न है।
	4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिचय	संलग्न है।

5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	संलग्न है।
6. क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	आवश्यकता नहीं है।
7. पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	आवश्यकता नहीं है।
1. परिषण लाईन की कुल लम्बाई	नहीं है।
2. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	नहीं है।
3. मार्ग का अधिकार	नहीं है।
4. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	नहीं है।
7. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	नहीं है।
8. परिषण टावरों की ऊंचाई	नहीं है।
7 सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	नहीं है।
1. कुल आवाह क्षेत्र	नहीं है।
2. कुल कमानु क्षेत्र	नहीं है।
3. कुल जलाशय स्तर	नहीं है।
4. उच्च बाढ़ स्तर	नहीं है।
5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर	नहीं है।
6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य)	नहीं है।
7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
8. पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
9. पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	नहीं है।
11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना	नहीं है।
13. कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में	नहीं है।
8 सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -	नहीं है।
9 केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -	नहीं है।
1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नहीं है।
2. सड़क की कुल लम्बाई	नहीं है।
3. पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई	नहीं है।
10 खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	नहीं है।
1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं है।
2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	नहीं है।
3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/	नहीं है।

कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	
4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	नहीं है।
5. खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	नहीं है।
6. चरणबद्ध सुधार योजना	नहीं है।
7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान	नहीं है।
8. पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जाये	नहीं है।
9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या	नहीं है।
10. निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल	नहीं है।
क. खनन -	नहीं है।
ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन -	नहीं है।
ग. अधिभार को जमा करना -	नहीं है।
घ. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन -	नहीं है।
ङ. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नहीं है।
च. शहर, आवास, कालोनियां -	नहीं है।
छ. सड़क /रेल्वे मार्ग/ रज्जु मार्ग का निर्माण -	नहीं है।
ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	नहीं है।
11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं	आवश्यकता नहीं है।
12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	आवश्यकता नहीं है।
13. बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी	आवश्यकता नहीं है।
14. पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमुदा) के भण्डार की प्रक्रिया	आवश्यकता नहीं है।
15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यकता नहीं है।
11 लागत लाभ विश्लेषण -	आवश्यक नहीं है।
12 क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये हैं (हां/नहीं)	आवश्यकता नहीं है।
13 क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है, (हां/नहीं) यदि हां तो -	नहीं किया गया है।
1. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे	नहीं है।
2. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	नहीं है।
3. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही	नहीं है।

	4. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुऐ कार्य किया जा रहा है	नहीं।
14	कोई अन्य सूचना -	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-	चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात -	
	1. इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद	नहीं।
	2. क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है।	हाँ।
	3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव	
	(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति पर प्रभाव।	नहीं।
	(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	नहीं।
	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें - 1. वन मण्डल धरमजयगढ़ में वर्ष भर अलग-अलग क्षेत्रों में औसतन 75 से 100 हाथियों का विचरण होता रहता है। वन मण्डल के शीघ्र लेखक शाखा द्वारा उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में आखिरी हाथी प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 06.09.2016 को हाथी की उपस्थिति थी तथा उसके पश्चात् उक्त प्रस्तावित कक्ष में हाथी की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र में यदा-कदा हाथियों की गतिविधि होती है। 2. प्रस्तावित क्षेत्र में संस्थान द्वारा नहर निर्माण से लोगों का जल स्रोत वन्य प्राणियों का जल स्रोत से अलग हो जाएगा जिससे द्वंद की स्थिति में उस क्षेत्र में कमी आ सकती है। 3. आवेदक संस्थान द्वारा उक्त कार्य में पानी रोकने हेतु 03 मीटर की दिवार निर्माण के कारण वन्य प्राणियों को वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। 4. उक्त परियोजना के स्थापित होने से आस-पास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सरलता से हो सकेगी। अतः उक्त परियोजना को स्थापित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।	

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।


वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़ छत्तीसगढ़